राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1277/2014..... ज़िला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स प्रेम मोटर्स प्रा. लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,जोन–प्रथम, जयपुर व अपीलीय अधिकारी तृतीय,वाणिज्यिक कर,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा, सदस्य	
16.10.2014	अपीलार्थी की ओर से श्री विवेक सिंघल एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय अधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2014, जो कि राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री आफ़ मोटर व्हीकल्स इनटू लोकल एरियाज़ अधिनियम, 1988 (जिसे आगे मोटर व्हीकल्स अधिनियमकहा जायेगा) की धारा 7 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम ,2003(जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा)द्वारा मोटर व्हीकल्स अधिनियम की धारा 7 के तहत पारित निर्धारण आदेश दिनांक 12.06.2014 निर्धारण वर्ष 2010–11 के सम्बन्ध में कायम की गयी वसूली योग्य मांग राशि रू. 56,07,367/–पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग राशि की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। बहस में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि राज्य के बाहर से आयात किये गये ट्रेलर की बॉडीज़ पर मोटर वाहनों पर प्रवेश कर व ब्याज कर निर्धारण अधिकारी आरोपित किया गया है, जो अविधिक है, क्योंकि आलोच्य अवधि के पारित पूर्व कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.102012 में मोटर वाहनों पर अन्य राज्य राज्य में चुकाये गये कर व राजस्थान राज्य में आरोपणीय कर दर के अन्तर पर कर व ब्याज को आरोपित किया जा चुका है इसलिए बिना किसी आधार के अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत इसे अण्डर असेस माना जाकर करारोपण किया जाना अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने से इन्कार करने संबंधी किसी प्रकार के कारणों का आदेश में अंकन नहीं किया है। उन्होने सृजित मांग राशि बाबत प्रकरण व सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट करते हुए उक्त मांग वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी तथा अन्यथा स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क भी दिया गया। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3948/1999 वाणिज्यिक कर अधिकारी,विशेष वृत–ए,जोधपुर बनाम मैसर्स पृथ्वी सिंह के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 04.04.2014एवं राजस्थान	

कर बोर्ड,अजमेर अपील संख्या 449 व 450/2002/सवाईमाधोपुर में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2003 को उद्धृत किया। विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि मोटर बॉडीज, मोटर व्हीकल नहीं है अतः मोटर व्हीकल अधिनियम के अन्तर्गत इन्हें पंजीकृत नहीं किया जा सकता है और केवल चेसिस का ही पंजीयन होता है। उन्होंने यह भी कथन किया कि वर्तमान प्रकरण में अधिनियम की उप धारा 2 अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत कराधान का कोई कारण नहीं बनता है क्योंकि राजस्थान टैक्स ऑन एन्ट्री आफ मोटर व्हीकल्स इनटू लोकल एरियाज नियम, 1992 (जिसे आगे नियम–1992 कहा जायेगा) के नियम 3(1) के अन्तर्गत केवल मोटर व्हीकल की क्रय कीमत पर ही राजस्थान राज्य में प्रवेश कर आरोपणीय है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कथन किया कि मोटर व्हीकल के पंजीयन में चेसिस और बॉडी दोनों ही सम्मिलित है। इस सन्दर्भ में उन्होंने मोटर व्हीकल अधिनियम,1939 की धारा 2 के क्लॉज 18 जिसमें lories, trailers and chassis of motor vehicles and bodies or tankers built or meant for mounting on chassis of motor vehicles, but excludes tractors को परिभाषित किया गया है, का उल्लेख किया तथा इस तर्क पर बल दिया कि उक्त परिभाषा को अधिनियम की धारा 2 (ई) में भी समावेशित किया गया है।

उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये प्रार्थना पर को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अंकन अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.07.2014 में नहीं किया गया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि रू. 56,07,367/– की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष